ग्रामीण समाज कल्याण समिति
(ग्रास)

2024

वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रगति आख्या (2023–24) अनुक्रमाणिका

क्र0 सं0	विवरण	पृष्ठ सं0
1.	अनुक्रमाणिका	I
2.	आभार	II
3.	उद्देश्य	III
4.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास)	1
5.	आजीविका एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम (LEDP)	2–4
6.	सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (MEDP)	5
7.	दोसाद जलागम	6–8
8.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	9–10
9.	लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना	11–13
10.	चाइल्डलाइन 1098	14–15

आभार

वार्षिक प्रगति आख्या को तैयार करने हेतु आवश्यक आंकड़े संकलन में परियोजना क्षेत्र के संदर्भित व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण समुदाय एवं ग्रास संस्था के प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा साधारण सभा के महानुभावों का आभार व्यक्त करते हैं जिनके सहयोग से **कार्यालय सहायक सरिता किरौला** द्वारा इस रिपोर्ट को पूर्ण किया जा सका।

हम आभारी हैं तकनीकी संस्था ''ग्रामीण समाज कल्याण समिति'' (ग्रास) अल्मोड़ा के निदेशक श्री भूपेन्द्र चौहान, लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के परियोजना प्रबन्धक श्री गिरीश चन्द्र जोशी तथा समस्त कर्मचारी, चाइल्ड लाइन 1098, चौखुटिया के समन्वयक श्री कैलाश सिंह एवं समस्त टीम मेम्बर, तथा नाबार्ड के अन्तर्गत कर्मचारी एवं स्वयं सहायता समूह।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी महानुभावों के योगदान से इस वित्तीय वर्ष 2023–24 के कार्यक्रमों को निष्पादन के उपरान्त वार्षिक प्रगति आख्या को पूर्ण किया जा सका।

धन्यवाद।

(गोपाल सिंह चौहान)
अध्यक्ष
ग्रामीण समाज कल्याण समिति,
''ग्रास''
तल्ला चीनाखान, अल्मोड़ा।

दिनांकः 11.05.2024
स्थान : अल्मोड़ा।

उद्देश्य

इस वार्षिक प्रगति आख्या को बनाने एवं तैयार करने का मुख्य उद्देश्य संस्था ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास) की विभिन्न परियोजना क्षेत्रों (आजीविका एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम) (सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम) (दोसाद जलागम) (राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान) (चाल्डलाइन 1098–चौखुटिया) (लक्ष्यगत हस्तक्षेप–अल्मोड़ा) में वित्तीय वर्ष 2023–24 में किये गये कार्यों का विवरण एवं आंकलन करना है। इस प्रकार उनका सर्वेक्षण कर परियोजनाओं की सफलता को किस प्रकार और अधिक बेहतर किया जा सके। साथ ही आगामी वर्ष में परियोजना गतिविधियों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा सके। वार्षिक प्रगति आख्या का अवलोकन कर भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की बेहतरी हेतु रणनीति बनायी जा सके।

(भूपेन्द्र चौहान)
निदेशक
ग्रामीण समाज कल्याण समिति,
''ग्रास''
तल्ला चीनाखान, अल्मोड़ा।

ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास)

ग्रामीण समाज कल्याण समिति जिसे ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1996 में अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह चौहान द्वारा उत्तराखंड में गरीब समुदायों के बीच अधिकार–आधारित विकासात्मक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने एवं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए आशा की किरण के रूप में की गई है।

1996 में अपनी स्थापना के बाद से, ग्रास उत्तराखंड के तीन जिलों– अल्मोडा, बागेश्वर और नैनीताल में संचालित होने वाले विभिन्न परियोजनाओं द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। संस्था ने 949 उत्पादक समूहों, 807 स्वयं सहायता समूहों, 100 संयुक्त देयता समूहों, 93 किसान क्लबों और 19 आजीविका सामूहिकों के साथ 1,192 राजस्व गांवों को शामिल किया है। समाज के वंचित, असेवित और कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संगठन 38,935 से अधिक ग्रामीण परिवारों को सेवा प्रदान करता है। ग्रास सतत विकास, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और सभी गतिविधियों में समुदाय को शामिल करने पर जोर देता है।

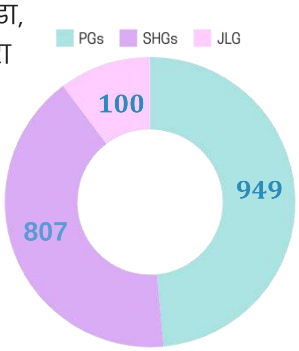

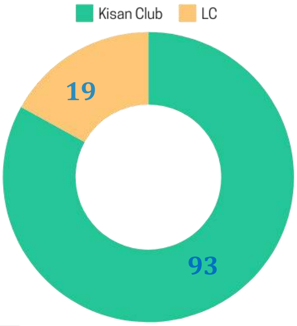

मुख्य रूप से भूमिहीन श्रमिक और सीमांत किसान परिवारों की महिलाओं, बच्चों, युवाओं और विकलांग लोगों पर ध्यान केंद्रित है। पिछले 27 वर्षों में, संगठन ने स्थानीय समुदाय के सहयोग से एकीकृत ग्रामीण विकास गतिविधियों को लागू किया है। इन गतिविधियों में सुरक्षित पेयजल, प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, युवा और महिला सशक्तिकरण, लिंग संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, जैविक खेती, सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म उद्यम, कौशल प्रशिक्षण और विकास और आजीविका सुधार प्रदान करना शामिल है।

अपनी स्थापना के बाद से, ग्रास ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और किशोर लड़कियों की शिक्षा के विकास के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया है। संस्था का ध्यान उत्पादक समूह, स्वयं सहायता समूह, किसान क्लब, आय सृजन, कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे समुदाय–आधारित संगठनों के समग्र सामाजिक विकास और महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करने पर रहा है। स्थानीय समुदायों की आजीविका में वृद्धि हमारा प्रमुख दृष्टिकोण है।

हम आपको ग्रास के साथ हाथ मिलाने और उन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करते हैं जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। आपका योगदान उत्तराखंड के हजारों वंचित परिवारों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। ग्रास के साथ खड़े रहें और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने में हमारी मदद करें। वर्तमान में ग्रामीण समाज कल्याण समिति द्वारा 06 परियोजनाएं संचालित की जा रही है।

आजीविका एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम (LEDP)

ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास) ने नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित दो वर्षीय आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत 150 महिला किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण महिला किसानों को मोटे अनाज की खेती और विपणन के बारे में सिखाने पर केंद्रित था। प्रशिक्षण के पहले दस दिन रौन–डाल और धामस में आयोजित किए गए और इसमें मुख्य वर्षा आधारित फसलों जैसे मंडुवा, झंगोरा, चौलाई, कौणी, लाल धान, दालें, गहत, काले भट्ट आदि के उत्पादन को शामिल किया गया। पूरे प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोडा, कृषि विज्ञान केन्द्र मटेला, कृषि विभाग, जैविक बोर्ड, भारतीय स्टेट बैंक, जिला उद्योग केन्द्र, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना और संसाधन सहकारी समिति के विशेषज्ञ शामिल थे। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की किसान महिलाओं की आजीविका और उद्यमशीलता उद्यम को बढ़ाने के लिए था।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात्, महिला किसानों ने अपने खेतों में मडुवा, झंगोरा, लाल धान, चौलाई, काले भट्ट और गहत जैसी विभिन्न फसलों की खेती तकनीकी ज्ञान एवं जानकारी द्वारा की। इसके अतिरिक्त, इन किसानों ने काले भट्ट और सोयाबीन से दूध निकालकर घर पर पनीर (टोफू) बनाना भी सीखा। पहले महिलाएं मंडुवा 10 से 18 रुपये प्रति किलो बेचती थीं, लेकिन इस साल उन्होंने 40 रुपये प्रति किलो मडुवा बेचा, जिससे इन महिला किसानों के आय में वृदि हुई एवं मुनाफे में 122 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

ग्रास संस्था ने इन सभी महिला किसानों का मृदा परीक्षण की जॉच भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि विभाग, हवालबाग में कराया। जिसके प्रमाण पत्र महिला किसानों को वितरित कर मृदा परीक्षण विशेषज्ञों ने किसानों को उनके मृदा परीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर उनके खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग करने की सलाह दी। किसानों को जैविक खेती के लिए वर्मीकम्पोस्ट जैसे उर्वरकों और जैविक दवाओं के उपयोग की भी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,

पीएच, सल्फर, मैंगनीज, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की।

आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत, रौन डाल एवं धामस के 60 किसानों को हवालबाग क्षेत्र में प्रगति आजीविका स्वायत्त सहकारिता के मंडुवा बेकरी यूनिट में महिला किसानों को एक दिवसीय शैक्षणिक दौरे पर ले जाया गया। भ्रमण के दौरान बेकरी इकाई के कुशल मास्टर प्रशिक्षकों ने मंडुवा उत्पादों में मूल्य संवर्धन के तरीकों की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त, विकास आजीविका स्वायत्त सहकारिता के कारीगरों ने बेर, संतरा, माल्टा, नींबू का रस, आम, मिर्च, लहसुन, आंवला अचार, हर्बल चाय और काढ़ा सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन के बारे में जानकारी प्रदान की।

विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की यांत्रिक प्रयोगशाला में महिलाओं के कार्यभार को कम करने वाली कृषि से संबंधित मशीनें जैसे मंडुवा थ्रेशर एवं परलर, झंगोरा सफाई मशीन, धान थ्रेशर, पंक्ति विधि मशीन, दरांती, कुदाल एवं पंजा का प्रदर्शन किया गया। .मैकेनिक इंजीनियर ने मशीनों के उपयोग की विधि का प्रदर्शन किया, जिसे महिलाओं ने खूब सराहा गया।

ग्रास संस्था द्वारा 150 महिला किसानों के लिए 2 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें खेत की तैयारी, मोटे अनाज के लिए बीज पंक्ति विधि और मिट्टी परीक्षण के बाद उर्वरकों के उचित उपयोग जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण में विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र के डॉ. दिनेश जोशी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मीणा और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के शाखा प्रबंधक योगेश पंचपाल के द्वारा भी किसानों को जानकरी दी गयी।

महिला किसानों को मोटे अनाज की खेती और विपणन से उनकी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए, संस्था द्वारा एक प्रदर्शन इकाई की स्थापना की गयी। यहां महिलाएं अपना मंडुवा इकट्ठा कर सकती हैं, उसे मडुवा थ्रेशर से साफ कर सकती हैं और झंगोरा जैसे अन्य उत्पादों के साथ पैक करके बेच सकती हैं। प्रदर्शन इकाई ग्रास संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित है। ग्रास संस्था द्वारा इस प्रदर्शन इकाई में निम्नलिखित उपकरण रखे गए हैंः–

क्र0 सं0	यंत्र	संख्या
1	विवेक मड्वा थ्रेसर कम पर्लर	1
2	इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन क्षमता 3 क्न्तल	1
3	पैकेजिग मशीन	1
4	छलनी	2
5	सूपा	2
6	परखी	4
7	पैकेजिग पोलोथीन	5

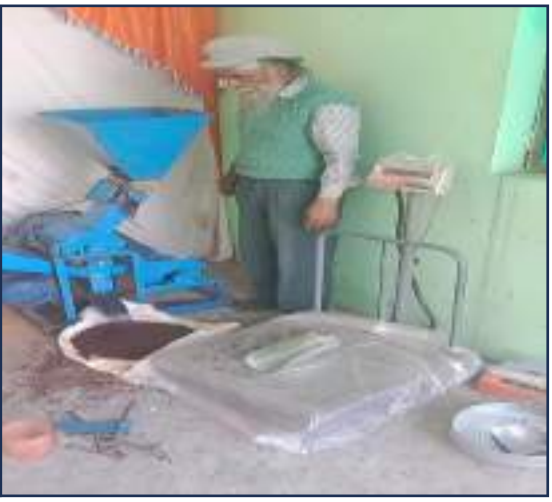

सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (MEDP)

ग्रास संस्था ने नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत 1 अगस्त 2023 से 17 अगस्त 2023 तक 15 दिवसीय जूट बैग निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण के बाद विभिन्न महिला समूहों की सदस्यों ने बैग, पर्स, वाटर बैग और अन्य जूट आधारित सामान बनाना शुरू किया। वे बोतल शॉपिंग बैग का उत्पादन और बिक्री भी कर रहे हैं। उत्पादन के लिए कच्चा माल ग्रास संस्था के महिला शोरूम, जिला पंचायत परिषद की दुकान से क्रय किया जा रहा है।

अपने व्यवसाय को सहारा देने के लिए ये उद्यमी अपने–अपने समूहों से ऋण ले रहे हैं और बैंक से सीसीएल बनाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। ये महिलाएं इस व्यवसाय से प्रति व्यक्ति 5,000 रु प्रति माह तक कमा रहे है।

दोसाद जलागम

ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास) तल्ला चीनाखान अल्मोडा नाबार्ड के जलागम विकास निधि के तहत दोसाद जलागम परियोजना का संचालन कर रही है। इस दोसाद जलागम परियोजना में द्वाराहाट विकास खंड के अंतर्गत 12 गांव शामिल हैं, जिनके नाम हैं बरगल, भंडरगांव, छब्बीसा, चिललगांव, मासर, मेल्टा, नहरागूँठ, सकुनी, सलिसुनौली, सतीनौगांव, स्यालसुना और उभ्याड़ी। परियोजना की प्रमुख गतिविधियों में से एक जलाशय विकास है, और क्षमता निर्माण चरण को 14 फरवरी, 2024 को मंजूरी दी गई थी।

दोसाद जलागम परियोजना का लक्ष्य मिट्टी के कटाव और वर्षा जल अपवाह की हानि को महत्वपूर्ण रूप से कम करके और भूजल पुर्नभरण में सुधार करके प्राकृतिक संसाधन आधार को बहाल करना है। परियोजना का लक्ष्य चयनित कृषि और बागवानी वस्तुओं के लिए मूल्य श्रृंखला विकसित करना भी है। यह सुदृढ़ जलागम प्रबंधन योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए लक्षित ग्राम पंचायतों (जीपी) की क्षमता का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना भूमिहीन और कमजोर परिवारों को आय–सृजन गतिविधियों में शामिल करेगी।

ग्रामीणों को सहभागी जलागम विकास कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए गांव–गांव में बैठकें आयोजित की गईं। जलागम कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान एवं वन पंचायत सरपंच से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त की गई, साथ ही दोसाद जलागम में श्रमदान एवं सहयोग की सहमति भी प्राप्त की गई। दोसाद जलागम परियोजना का कुल क्षेत्रफल लगभग 1000 हेक्टेयर है तथा वन पंचायतों की कृषि भूमि पर जल संरक्षण विकास कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

गैर–कृषि क्षेत्रों में खेत तटबंध, चेक डैम, कच्चे गड्ढे टैंक आदि निर्माण कार्य भी किये जायेंगे। परियोजना का पहला चरण छह महीने के क्षमता–निर्माण चरण कार्यक्रम के साथ, दोसाद जलागम परियोजना के 100 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करेगा। जिसमें क्षमता निर्माण चरण कार्यक्रम छह महीने तक चलाया जाएगा।

संस्था द्वारा 4 दिवसीय श्रमदान शिविर में निम्न कार्यो को सम्पन्न किया गया–

1. ग्राम चिललगाँव में कपतोई हैण्डपम्प की सफाई
2. गाँव से हैण्डपम्प तक जाने के रास्ते की सफाई
3. कूल्लूधार हैण्डपम्प की सफाई की सफाई तथा नालो की सफाई
4. कपतोई नौला की नाली एवं झाड़ियो की सफाईग्राम मासर अनु0 जाति क्षेत्र मे ढोली नौले की नाली, नौले, झाड़ियो की सफाई
5. मासर मे नौलो की सफाई
6. ग्राम सभा छब्बीसा के मल्ला नौला की नाली, नाली, झाड़ियो की सफाई की गई

BEFORE
AFTER

BEFORE
AFTER

BEFORE
WELCOME TO
GRAMIN SAMAJ KALYAN SAMITI
"GRASS"
AFTER

BEFORE
AFTER

जलागम समुदाय के लोगो को शैक्षिक भ्रमण कराया गया। शैक्षिक भ्रमण के अर्न्तगत मासर से जलागम क्षेत्र धौलादेवी विकास खण्ड मे धसपड़ ग्राम जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। 20 सदस्यो को प्रत्येक वनपंचायत के सरपंच, ग्राम प्रधान, ग्राम वासियो को दिनांक 15.03.2024 को भ्रमण कराया गया। श्रीमती माधवी महरा पूर्व जलागम फेसिली टेटर द्वारा ग्राम में कन्टूर पिट, सोखता पिट, फलदार वृक्ष, वन पंचायतो में वृक्षारोपण, सोलर टैंक एवं पम्प, एल0डी0पी0 टैक मलचिग खेती वर्मी कम्पोस्ट, पॉली हाउस, बकरी बाड़ा पशुपालन आदि के कार्यक्रम सदस्यो को प्रदर्शित किया गया।

शैक्षिक भ्रमण के पश्चात् जलागम गाँव मे जलागम समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक गाँव समिति के प्रतिनिधियों को एकद्रीय ग्राम जलागम समिति का VWC गठन किया जायेगा। PIA और VWC सदस्य CBP के अपेक्षित ट्रीटमेंट कार्यो के बारे में योजना तैयार करेगे। VWC में जलागम के लोगो द्वारा चुने गए कम से कम 9 सदस्य होगे जिनमें विभिन्न सामाजिक वर्गो व समूहो के प्रतिनिधित्व के साथ 30% महिला सदस्य होगी।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत क्षमता विकास प्रशिक्षण निदेशालय, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड के सहयोग से विकासखण्ड भैसियाछाना जिला अल्मोड़ा के न्याय पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका शुभारंभ पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किया गया । इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों और रेखीय विभागों के कर्मियों को प्रशिक्षण देना था। इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर श्री भूपेन्द्र चौहान द्वारा सतत् विकास लक्ष्य पर चर्चा करते हुए 17 लक्ष्यों को विस्तार से प्रशिक्षण में बताया गया तथा 9 थीमों की विस्तृत जानकारी दी गयी।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) उद्देश्यों और संकेतकों का एक सार्वभौमिक समूह है जिसे संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किया गया है। वर्ष 2015, सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में **“Transforming our world:The 2030 Agenda for Sustainable Development”** के तहत सदस्य देशों द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development goals) के अंतर्गत 17 विकास लक्ष्य तथा 169 उद्देश्य अंगीकृत किये गए हैं। जिसे भारत सरकार द्वारा भी अपनाया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित न्याय पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री गोपाल सिंह चौहान, भूपेन्द्र चौहान, दीपा सिराड़ी, गिरीश चन्द्र जोशी और हरीश चन्द्र पाठक मास्टर ट्रेनर थे। इस प्रशिक्षण के दौरान, अन्य राज्यों में मॉडल ग्राम पंचायत के जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) की प्रस्तुति, 15 वें वित्त आयोग, मूल अनुदान (Untied Fund), आबद्ध अनुदान (Tied Fund), 5 वॉ राज्य वित्त आयोग, प्रस्तुति और स्याल्दे विकास खण्ड के ग्राम पंचायत बरंगल की आदर्श जीपीडीपी का प्रस्तुतीकरण एवं क्रियान्वयन आदि के बारे में जानकारी दी।

WELCOME TO
GRAMIN SAMAJ KALYAN SAMITI
"GRASS"

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विकासखण्ड भैसियाछाना में निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया थाः—

क्र0 सं0	सम्मिलित ग्राम पंचायत	ग्राम प्रधानगणो की संख्या	ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या	रेखीय विभाग अकिारियों / कार्मिको की संख्या	कुल प्रतिभागी
1	नैणी, देवड़ा, सल्ला, पूनाकोट, पेटशाल, डुॅगरी, दशौ, दिगोली, कुंजबरगल, भेटाबड़िया	10	65	10	85
2	सिमखल्या, कुमौली, अलई, खासतिलाड़ी, चनोली, बमनतिलाड़ी, सूपई, छानी, जोग्यूड़ा	9	61	10	80
3	बौड़ा, धौलनैली, त्रिनैली, लिंगुणता, घुन्योली, डुॅगरलेख, बूॅगा, नौगॉव, हटौला	9	64	10	83
4	पाण्डेतोली, डालाकोट, शील, कुंजरतौड़ा, मल्ली धौनी, थिकलना, नैनीगूॅठ, न्योली, हरड़ा	9	59	10	78
5	सल्लाभाटकोट, सल्यूड़ी, पभ्या, नाली मल्ली, नाली तल्ली, जिंगल, कुंलकिमौला, भैसियाछाना	8	56	9	73
6	पल्यूॅ, दियारी, कॉचुला, कलौन, बबुरियानायल, उटिया, बेलवालगॉव, खॉकरी	8	54	9	71
कुल		53	359	58	470

क्र0 सं0	विकासखण्ड	क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या	रेखीय विभाग अधिकारियों / कार्मिको की संख्या	कुल प्रतिभागी
1	भैसियाछाना	21	09	30
कुल		21	9	30

लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना

संस्था 2010 से उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा वित्तपोषित लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना अल्मोड़ा जिले में संचालित कर रही है। यह परियोजना एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकने और अल्मोडा जिले के बाहरी क्षेत्रों में महिला यौनकर्मियों के बीच यौन संचारित रोगों से सुरक्षा पर केंद्रित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 से संस्था को अपना लक्ष्य 250 से बढ़ाकर 400 करना है, जिसमें अल्मोडा में 250 और रानीखेत में 150 का लक्ष्य शामिल हैं। 2021–22 में, भारत के हर जिले में लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना चलाने वाले संस्थाओं के माध्यम से उच्च जोखिम वाली श्रेणियों की पहचान करने और एक मानचित्र आंकलन बनाने के लिए प्रोग्रामेटिक मैपिंग और जनसंख्या आधार अनुमान (पी–एमपीएसई) गतिविधि शुरू की गई।

भारत सरकार ने नाको के लिए तीन लक्ष्य निर्धारित किए हैं (1) सभी अनुमानित पीएलएचआईवी में से 95% को अपनी एचआईवी स्थिति पता होनी चाहिए, (2) सभी पीएलएचआईवी में से 95% को एआरटी सेंटर से जोड़ा जाना चाहिए, और (3) सभी में से 95% को अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। पीएलएचआईवी के वायरल लोड को कम किया जाना चाहिए।

इसके अलावा संस्था जुलाई 2022 से 5,000 प्रवासियों पर भी काम कर रही है। इस वर्ष अधिक लोगों का परीक्षण करने के लिए परियोजना में नए क्षेत्रों के चयन और समुदाय–आधारित स्क्रीनिंग पर अधिक ध्यान दिया गया है।

लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के फील्ड कर्मचारी एक–से–एक बैठक, समूह बैठकों, सामुदायिक कार्यक्रमों, वकालत, स्वास्थ्य कैप, ड्रॉप–इन सेंटर बैठकों, आईईसी सामग्री वितरण आदि के माध्यम से एचआईवी महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक हॉट स्पॉट पर जाते हैं। महिला यौनकर्मियों को उनकी मासिक मांग के आधार पर सरकार द्वारा मुफ्त कंडोम दिए जाते हैं।
प्रवासी कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के फील्ड स्टाफ द्वारा प्रवासी मजदूरों, नेपालियों, बिहारियों तथा अन्य राज्यों से रोजगार की तलाश में अल्मोड़ा जिले में आने वाले सभी लोगों को संस्था में पंजीकृत किया जाता है। एचआईवी जैसी महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समूह बैठकें,

आईपीसी सामुदायिक नुक्कड़ नाटक, सभा कार्यक्रम, वकालत, स्वास्थ्य कैंप, ड्रॉप–इन सेंटर बैठकें, आईसी सामग्री वितरण आदि आयोजित किए जाते हैं। एचआईवी जांच, बीपी परीक्षण और दवाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिलाओं को जागरूकता कार्यक्रम के अर्न्तगत निम्न चार बिन्दुओं में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है–

1. असुरक्षित यौन संपर्क से।
2. संक्रमित रक्त एवं ब्लड प्रोडक्ट (रक्त उत्पाद) से।
3. संक्रमित सुइयों, सीरिंजों, के स्तेमाल से।
4. संक्रमित मॉ से उसके होने वाले बच्चें को।

1 दिसंबर को, जो विश्व एड्स दिवस है, लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में कई जागरूकता कार्यक्रम और रैलियां आयोजित की जाती हैं। हमारे द्वारा नर्सिंग कॉलेज, अल्मोड़ा में आयोजित विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. सी. पंत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. आर.सी. सहित नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं उपस्थित रहीं। पंत ने एचआईवी के बारे में उपयोगी जानकारी दी।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

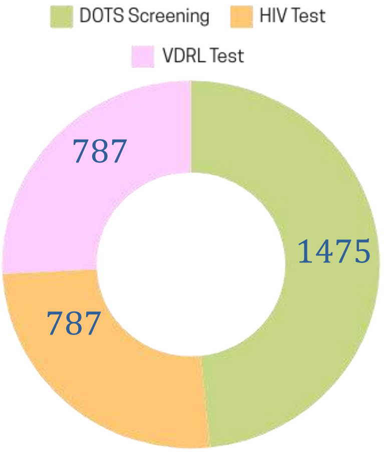

FSW Testing

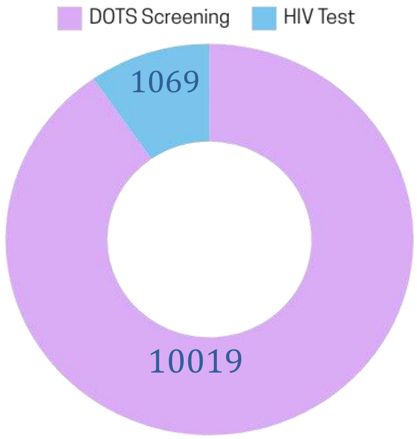

Migrant Testing

वर्ष में दो बार, आकर्षक खेलों और प्रश्न–उत्तर सत्रों के माध्यम से एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आयोजन लाभार्थियों को एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूक रहने में मदद करते हैं।

पियर, जो अक्सर समुदाय के भरोसेमंद सदस्य होते हैं, सैनिटरी पैड के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके वितरण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर, सेनेटरी पैड योजना के हिस्से के रूप में, पियर व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व, सैनिटरी पैड के उचित उपयोग और स्पर्श सैनिटरी पैड जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उपयोग के संभावित स्वास्थ्य लाभों के बारे में शिक्षित करते हैं। वे इन पैडों को सीधे समुदाय को भी बेचते हैं, जिससे वे उन लोगों के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे जिनके पास स्टोर या किफायती विकल्पों तक आसान पहुंच नहीं है।

इस प्रकार का जमीनी स्तर का दृष्टिकोण न केवल बेहतर मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देता है, बल्कि मासिक धर्म के आसपास के कलंक को भी कम करता है, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाता है और समग्र सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है।

चाइल्डलाइन 1098

चाइल्डलाइन 1098 परियोजना एक पहल है जो भारत में सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 24 घंटे, टोल–फ्री आपातकालीन फोन सेवा प्रदान करती है। इसकी शुरुआत पहली बार जून 1996 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) में परिवार और बाल कल्याण विभाग की एक फील्ड एक्शन परियोजना के रूप में हुई थी। यह परियोजना के प्रोफेसर जेरू बिलिमोरिया द्वारा स्थापित की गई थी, और बाद में चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, एक एनजीओ बन गई।

चाइल्डलाइन 1098 अब एक राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन है जो साल में 365 दिन संचालित होती है, जो संकट में फंसे बच्चों को मुफ्त आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। परियोजना का लक्ष्य बच्चों को उनकी दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए प्रासंगिक सेवाओं से जोड़ना है। पिछले कुछ वर्षों में, चाइल्डलाइन 1098 एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है जिसने भारत में लाखों बच्चों की मदद की है।

चाइल्डलाइन 1098 भारत में उन बच्चों के लिए 24 घंटे की टोल–फ्री आपातकालीन फोन सेवा है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। यदि आपको या आपके किसी परिचित को सहायता की आवश्यकता है, तो आप चाइल्डलाइन 1098 डायल कर सकते हैं, और प्रशिक्षित पेशेवर संकट कॉल में भाग लेंगे और सहायता प्रदान करेंगे। हेल्पलाइन को विभिन्न प्रकार के संकटों को दूर करने और जरूरतमंद बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

″12 जून 2023 से 18 जून 2023 Child Labour Day”

एक बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक 14 नवम्बर बाल दिवस मनाने के लिये बच्चे पूरी तरह तैयार रहते हैं। बढ़ी हुई आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की कमी और घरेलू आय में कमी के कारण गरीब परिवारों के बच्चों को मजबूरी में बाल श्रम करना पड़ रहा है। जिससे बाल श्रम को समाप्त करने की सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगी।

ग्राम पंचायतों में बाल श्रम दिवस की बैठकें

दिनांक	ग्राम पंचायत	कुल बच्चे
12/6/2023	महतगाँव	20
13/6/2023	सोनगाँव	24
16/6/2023	ढांग	25
17/6/2023	पीपलधार.	28
18/6/2023	खातानागाड	26

ग्राम पंचायतों, स्कूल आदि में मीटिग करवाकर चाइल्डलाइन टीम द्वारा बच्चों को बाल श्रम के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया गया–

- **अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई खतरनाक काम करने के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता है।**
- **अनुच्छेद 39 के अनुसार पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है।**
- मनरेगा 2005 शिक्षा का अधिकार
- अधिनियम 2009 और मध्याह्न भोजन योजना जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों ने ग्रामीण परिवारों के लिये गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार (अकुशल मजदूरों हेतु के साथ–साथ बच्चों के स्कूलों में रहने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- इसके अलावा वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन संख्या 138 और 182 के अनुसमर्थन के साथ भारत सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिये अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये खतरा बाल श्रम शोषण की निरंतरता एवं बच्चों की स्कूलों तक पहुच न होने के कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये नकारात्मक साबित हो रही है।
- बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिये बने होते हैं कार्यस्थलों में कार्य करने के लिये नहीं। बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के उनके अधिकार से वंचित करता है और गरीबी को पीढ़ीगत बनाती है। बाल श्रम शिक्षा में एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करता है जो स्कूल में उपस्थिति और प्रदर्शन दोनों को प्रभावित करता है।
- बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के उनके अधिकार से वंचित करता है एवं गरीबी के पीढ़ीगत बनाता है।